न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 418 सन 2017
अनवान :—

1. औमप्रकाश पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दुनीराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर ।
3. गोपाल पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रायसिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
5. सुरेश पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 11/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 सगे भाई है तथा सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है तथा अपनी भूमि को सयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है।

रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 17/15 की कुल 31.3880हैक भूमि सयुक्त खाता की है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1144 हिस्सा है जो अलग अलग वादी की 160 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 की 492 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 की 492 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की 1388 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी सयुक्त रूप से बहिब काश्त करते आ रहे है और लगान भी सयुक्त तौर से जमा करवाते हुए आ रहे है वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से निम्नप्रकार से बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 3 की क से घ में अंकित है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु आपसी सहमति से हुए विभाजन अनुसार काश्त करने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान सयुक्त तौर से दर्ज है जिससे आपस में विवाद होता है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की आपसी सहमति से किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाद की मद संख्या 3 में अंकित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

वादी के वाद का विरोध पेश नही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही करने पर जिरह शुन्य दर्ज की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 सगे भाई है तथा सयुक्त हिन्दु खानदान के सदस्य है तथा अपनी भूमि को सयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है।

रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 17/15 की कुल 31.3880हैक भूमि सयुक्त खाता की है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का 1144 हिस्सा है जो अलग अलग वादी की 160 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 की 492 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 की 492 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की 1388 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी सयुक्त रूप से बहिब काश्त करते आ रहे है और लगान भी सयुक्त तौर से जमा करवाते हुए आ रहे है वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से निम्नप्रकार से बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 3 की क से घ में अंकित है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया जा चुका है इस प्रकार सयुक्त खाता की भूमि के खाता विभाजन के सम्बध में सभी पक्षकार सहमत है अतः प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की [illegible] प्रतिवादीगण की सहमति एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:04 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा टिडियासर के खाता संखय 17/17 के खसरा न. 107 की 2.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

0230हैक , खसरा न0 108 की 3.0350हैक , खसरा न0 184 की 2.6810हैक खसरा न0 303 की 14.8470हैक , खसरा न0 304 की 2.0740हैक , खसरा न0 92 की 6.7280हैक बारानी भूमि वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दी से साबित है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का कथन है कि हम एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया है जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है एवं नजरीय नक्शा के अनुसार है इसी अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

जमाबन्दी में दर्ज सयुक्त खातेदार काश्तकार एक ही परिवार के हो या ना हो आपसी सहमति से अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा कर न्यायालय में पेश अपने बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान दर्ज करवा पाने के अधिकारी है आपसी सहमति से खाता विभाजन करने से राज्य हक को कोई हानी नही होती है बल्की विवाद ही सम्पाप्त होता है।

वादी एव प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी ओमप्रकाश के पास रोही मोजा टिडियासर के खाता संख्या 17/17 के खसरा न0 107 की 2.0230हैक खसरा न0 108 की 1.518हैक , खसरा न0 92 की 1.277हैक कुल 4.818हैक भूमि रहेगी जो नजरीय नक्शा में नीली रगं से दर्शाई गई है व प्रतिवादी संख्या 2 दुनीराम के पास खसरा न0 92 की 2.782हैक , खसरा न0 108 की .518हैक , खसरा न0 184 की 0.5300हैक कुल 4.830हैक भूमि रहेगी जो नजरीय नक्शा में लाल रग दर्शाई गई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 कुरडाराम के पास खसरा न0 92 की 2.669हैक , खसरा न0 184 की 2.1505 हैक कुल 4.819हैक भूमि रहेगी जो नजरीय नक्शा में हरे रगं से दर्शाई गई है (नजरीय नक्शा निर्णय का भाग रहेगा) एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान का अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. औमप्रकाश पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कुरडाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दुनीराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर ।
3. गोपाल पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
4. रायसिह पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
5. सुरेश पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या418 सन 2017 निर्णय दिनांक–11/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी ओमप्रकाश के पास रोही मोजा टिडियासर के खाता संख्या 17/17 के खसरा न0 107 की 2.0230हैक खसरा न0 108 की 1.518हैक , खसरा न0 92 की 1.277हैक कुल 4.818हैक भूमि रहेगी जो नजरीय नक्शा में नीली रगं से दर्शाई गई है व प्रतिवादी संख्या 2 दुनीराम के पास खसरा न0 92 की 2.782हैक , खसरा न0 108 की .518हैक , खसरा न0 184 की 0.5300हैक कुल 4. 830हैक भूमि रहेगी जो नजरीय नक्शा में लाल रग दर्शाई गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 कुरडाराम के पास खसरा न0 92 की 2.669हैक , खसरा न0 184 की 2.1505 हैक कुल 4. 819हैक भूमि रहेगी जो नजरीय नक्शा में हरे रगं से दर्शाई गई है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास शेष भूमि यथावत रहेगी (नजरीय नक्शा निर्णय का भाग रहेगा)इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान का अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)